बौनों और किन्नरों को हरियाणा सरकार का तोहफा

चर्चा में क्यों?

17 मई, 2023 को हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री ओम प्रकाश यादव ने विभाग की समीक्षा बैठक के बाद बताया कि राज्य सरकार ने बुजुर्गों और दिव्यांगों के बाद अब बौनों और किन्नरों का भत्ता बढ़ाकर 2750 रुपए मासिक कर दिया है। बढ़ा हुआ भत्ता एक अप्रैल 2023 से लागू होगा।

प्रमुख बिंदु

- बौना भत्ता के लिये पुरुष का कद 3 फुट 8 इंच और महिला का कद 3 फुट 3 या इससे कम होना चाहिए। दोनों श्रेणियों के तहत भत्ता प्राप्त करने के लिये आवेदक को सिविल सर्जन से सर्टफिकेट भी प्रस्तुत करना होगा।
- इसके अलावा, निराश्रित बच्चों को दी जाने वाली सहायता राशि भी बढ़ाकर 1850 रुपए मासिक कर दी गई है। यह सहायता एक परिवार को अधिकतम दो बच्चों तक दी जाएगी।
- 18 साल तक के स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चों को दी जाने वाली सहायता राशि भी बढ़ाकर 2150 रुपए की गई है।
- इन दोनों योजना के तहत भत्ता प्राप्त करने के लिये व्यक्ति हरियाणा का अधिवासी होना चाहिये और उसकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिये।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री ने बताया कि जम्मू एवं कश्मीर से विस्थापित होकर हरियाणा आने वाले कश्मीरी परिवारों की सहायता राशि बढ़ाकर 1250 रुपए प्रतिमाह प्रति सदस्य की गई है, परंतु यह राशि प्रति परिवार 6250 प्रतिमाह से अधिक नहीं होगी।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/haryana-government-s-gift-to-dwarfs-and-eunuchs